उत्तर प्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उ0प्र0 कैम्पा) कार्यपालक समिति की दिनांक 21.02.2024 को आयोजित दसवीं बैठक का कार्यवृत्त

उत्तर प्रदेश कैम्पा कार्यपालक समिति की दसवीं बैठक दिनांक 21.02.2024 को अपरान्हन 03.00 बजे प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश/अध्यक्ष, कार्यपालक समिति, उ0प्र0 कैम्पा की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में भाग लेने वाले कार्यपालक समिति के सदस्यों की सूची संलग्न है **(संलग्नक–1)**।

सर्वप्रथम, सदस्य सचिव, कार्यपालक समिति, उ0प्र0 कैम्पा द्वारा बैठक में उपस्थित कार्यपालक समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक का शुभारम्भ किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियमित एजेंडा बिन्दुओं पर विचार–विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिए गएः–

एजेण्डा बिन्दु–1 :– उत्तर प्रदेश कैम्पा कार्यपालक समिति की नवीं बैठक दिनॉक 30.10.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि किया जाना।

समिति द्वारा उ0प्र0 कैम्पा कार्यपालक समिति की नवीं बैठक दिनॉक 30.10.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

उ0प्र0 कैम्पा कार्यपालक समिति की नवीं बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से अवगत हुई तथा निम्नानुसार निर्देश निर्गत किये गयेः–

1. **(अ)** भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून से "Conducting studies from reputed University/ Organization/ Institutes on causes and remedies of man animal conflict." विषय पर कराये गये अध्ययन कार्यक्रम के सम्बन्ध में **समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ के स्तर से भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को उक्त विषय पर अध्ययन रिपोर्ट मे आवश्यक संशोधन करते हुये अन्तिम रिपोर्ट माह मार्च, 2024 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।**

   (ब) फारेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया, कौलागढ़ रोड, देहरादून से "Conducting studies from reputed University/ Organization/Institutes regarding impact of plantations on ecological parameters." विषय पर कराये गये अध्ययन कार्यक्रम के सम्बन्ध में **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 कैम्पा द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित मण्डलों में वन क्षेत्र के बाहर काष्ठ आधारित उद्योगों हेतु काष्ठ के आंकलन के लिये अध्ययन कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यवाही की गयी थी, शेष मण्डलों पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में उच्च स्तर पर निर्णय लिये जाने के पश्चात् कार्यवाही की जा सकेगी।**

2. उ0प्र0 कैम्पा द्वारा कराये जा रहे वृक्षारोपणों, जिन हेतु 7 से 10 वर्ष अनुरक्षण दिया जा रहा है, के सफलता मानकों का निर्धारण के सम्बन्ध में **समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि शेष जोनल/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, जिनके द्वारा अपने अधीनस्थ वन प्रभागों की क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सफलता प्रतिशत सम्बन्धी सूचना प्राप्त नहीं हुयी है, उनसे सूचना प्राप्त करते हुए माह मार्च, 2024 में बैठक अनिवार्य रूप से सम्पादित करा ली जाये।**

3. **(ख)** प्रभागीय वनाधिकारी, सोहेलवा वन प्रभाग में वर्ष 2012 में 5.60 है0 एवं वर्ष 2013 में 2.65 है0 में कराये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण के असफल होने के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पूर्वी, गोण्डा द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि सोहेलवा वन प्रभाग में वर्ष 2012 में 5.60 है0 एवं वर्ष 2013 में 2.65 है0 में कराये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण के असफल होने का मुख्य कारण वृक्षारोपण क्षेत्र का बाढ़ प्रभावित होना है। असफल वृक्षारोपण क्षेत्र में पुनः पौध रोपण कर वृक्षारोपण को सफल बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन निम्न भूमि एवं जलभराव होने के कारण वृक्षारोपण सफल नहीं

हो सका। असफल वृक्षारोपण के जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गयी एवं नियमानुसार सम्बन्धित वृक्षारोपण पर व्यय धनराशि की वसूली की गयी है। **तद्नुसार प्रकरण में की गयी कार्यवाही से समिति अवगत हुयी।**

(ग) कैमूर वन्यजीव प्रभाग में वर्षाकाल 2016 में कराये गये 50.00 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण के असफल वृक्षारोपण के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में मा0 न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल है तथा प्रकरण अति संवेदनशील होने के कारण प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मिर्जापुर के विभिन्न पत्रों के माध्यम से जिलाधिकारी, मिर्जापुर से उप जिलाधिकारी, लालगंज की अध्यक्षता में संयुक्त टीम गठित कर तिथि निर्धारित करते हुए अतिक्रमण खाली कराने हेतु अनुरोध किया गया है, पुलिस बल मिलते ही खाली करा लिया जायेगा। **तद्नुसार प्रकरण में की गयी कार्यवाही से समिति अवगत हुयी।**

(घ)(1) आगरा वन प्रभाग में वर्षाकाल 2017 में कराये गये 30.00 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण के असफल वृक्षारोपण के सम्बन्ध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 कैम्पा की वर्ष 2023–24 की वार्षिक प्रचालन योजना में आगरा वन प्रभाग के अन्तर्गत उक्त असफल वृक्षारोपण को सफल बनाने हेतु धनराशि रू0 51.0306 लाख षष्ठम् वर्ष विशेष अनुरक्षण (तारबाड़ सिचाई हेतु बोरिंग का प्राविधान) हेतु निर्गत धनराशि के सापेक्ष प्रभाग द्वारा पुनः वृक्षारोपण करा लिया गया है तथा सुरक्षा व्यवस्था का कार्य भी करा दिया गया है। वृक्षारोपण अच्छी स्थिति में है जिसका निरीक्षण भी कर लिया गया है, **तत्सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि 30.00 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण में रोपित पौधों की गणना कराकर रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा को उपलब्ध करा दी जाये।**

(घ)(2) प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ वन प्रभाग द्वारा वर्षाकाल 2011 (18.38 है0) एवं वर्षाकाल 2016 में (16.12 है0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा वर्षाकाल 2018 (12.87 है0), वर्षाकाल 2019 (74.844 है0) में गैर क्षतिपूरक वृक्षारोपण के असफल होने के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्षाकाल 2011 (18.38 है0) में कराये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण का एन0एच–91 के चौड़ीकरण में प्रभावित होने के कारण नष्ट हो गये, प्रकरण में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक/विधिवत स्वीकृति के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य हरदोई वन प्रभाग में कराया जा चुका है। वर्षाकाल 2016 में (16.12 है0) असफल क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि सम्बन्धित क्षेत्र में जीवित पौधों के सत्यापन हेतु उप प्रभागीय वनाधिकारी, सा0वा0 प्रभाग, एटा के नियंत्रण एवं निर्देशन में पूर्ण किये जाने हेतु समिति का गठन किया गया। उक्त समिति द्वारा वृक्षारोपण स्थलों का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण में जीवित पौधों की गणना करायी गयी, जिनमें जीवित पौधों की सफलता मानक के अनुरूप पायी गयी। **तद्नुसार प्रकरण में की गयी कार्यवाही से समिति अवगत हुयी।**

वर्षाकाल 2018 (12.87 है0), वर्षाकाल 2019 (74.844 है0) में गैर क्षतिपूरक वृक्षारोपण के असफल हुये वृक्षारोपणों की जॉच आर्थिक अपराध अनुसंधान, संगठन शाखा, कानपुर द्वारा कार्यवाही प्रचलन में है, **तद्नुसार समिति द्वारा अवगत होते हुए निर्देशित किया गया कि आर्थिक अपराध अनुसंधान, संगठन शाखा, कानपुर द्वारा कृत कार्यवाही एवं अन्य प्रचलित कार्यवाहियों का विवरण मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा को उपलब्ध करा दी जाये।**

अन्य एजेण्डा बिन्दुः–

राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार के पत्र दिनॉक 20.01.2023 में वर्णित ".....any of the relevant Autonomous Institutions viz. ICFRE, IIFM or any other technical institute not directly under the control of State Government." दिशा–निर्देशा के अनुरूप उ0प्र0 कैम्पा के अन्तर्गत कराये गये विभिन्न कार्यों की तृतीय पक्ष निगरानी (Third Party Monitoring) कराये जाने के सम्बन्ध में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून (ICFRE, Dehradun) द्वारा मान्यताप्राप्त (Accredited) 07 संस्थाओं तथा स्वयं ICFRE, Dehradun से, इस

प्रकार कुल 08 संस्थाओं से सहमति तथा Concept Note उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में निम्नानुसार 03 संस्थाओं से सहमति तथा Concept Note प्राप्त हुआ है :–

संस्था का नाम	अनुमानित धनराशि (रू0 लाख में)
भारतीय वन प्रबन्धन संस्थान (IIFM) भोपाल, मध्य प्रदेश (जी0एस0टी0 सहित)	445.17
वानिकी, वन्यजीव और पर्यावरण विज्ञान विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय), कोनी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)	334.74
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून (ICFRE, Dehradun) (केवल वृक्षारोपण कार्य हेतु) (जी0एस0टी0 का उल्लेख नहीं है)	800.00

समिति द्वारा "वानिकी, वन्यजीव और पर्यावरण विज्ञान विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय), कोनी, बिलासपुर छत्तीसगढ़" (भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त ग्रेड A^{++}) द्वारा पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा में किये गये मानिटरिंग सम्बन्धी कार्यों के अनुभव के दृष्टिगत उ0प्र0 कैम्पा की वर्ष 2011 से 2022 तक कराये गये क्षतिपूरक/गैर क्षतिपूरक वृक्षारोपण, सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन एवं एन0पी0वी0 मद के अन्तर्गत अन्य विभिन्न कार्यों की तृतीय पक्ष निगरानी (Third Party Monitoring) कराये जाने हेतु दी गयी अनुमानित धनराशि न्यूनतम (रू0 334.74 लाख + जी0एस0टी0) पाया गया।

समिति द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत पूर्व में वन विभाग एवं अन्य विभागों में वर्ष 2019–20 में रोपित किये गये 22.55 करोड़ पौधों की Third Party Monitoring FSI, Dehradun द्वारा माह जनवरी 2020 से माह अप्रैल 2020 तक किया गया, तसम्बन्धी FSI, Dehradun द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:–

S. No.	Components of Plantation	Sampling Intensity (%)	Sample Plots as per the design	Sample Plots Surveyed	Estimate of Planted Area (ha.)
1	Village Panchayats	2.50	3006	2854	50397
2	Urban Local Bodies	3.00	649	636	2929
3	Departmental Plantations	5.00	588	588	32235
Total -			**4243**	**4078**	**85561**

वर्ष 2019–20 में कराये गये केवल वृक्षारोपण कार्य की Third Party Monitoring हेतु रू0 77.50 लाख की धनराशि का भुगतान उ0प्र0 वन विभाग (कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ में संधारित अभिलेखों के अनुसार) द्वारा FSI, Dehradun को किया गया है।

जबकि उ0प्र0 कैम्पा की वर्ष 2011 से 2022 तक (कुल 12 वर्ष) कराये गये क्षतिपूरक/गैर क्षतिपूरक वृक्षारोपण, सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन एवं एन0पी0वी0 मद के अन्तर्गत अन्य विभिन्न कार्यों की तृतीय पक्ष निगरानी (Third Party Monitoring) कराये जाने के सम्बन्ध में "वानिकी, वन्यजीव और पर्यावरण विज्ञान विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय), कोनी, बिलासपुर छत्तीसगढ़" (भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त ग्रेड A^{++}) द्वारा प्रेषित सहमति तथा Concept Note के अनुसार वित्तीय आउटले निम्नानुसार है :–

Area of CA/Non-CA Plantation (Ha.) from 2011 to 2022	Number of plantation sites of CA/Non-CA from 2011 to 2022	Sampling Intensity	Rate per Hactare (In Rupees)	Total Proposed Outlay in rupees (excluding GST)
119551.40	8035	10 % of the area of each plantation site	280.00	3,34,74,280.00

समिति द्वारा FSI, Dehradun एवं वानिकी, वन्यजीव और पर्यावरण विज्ञान विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय), कोनी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के उपरोक्त तुलनात्मक विवरण एवं वर्ष 2020 से 2024 के मध्य बाजार दरों में वृद्धि, कार्य की मात्रा की अधिकता एवं पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य में कैम्पा कार्यों की Third Party Monitoring के अनुभव आदि के आधार पर उ0प्र0 कैम्पा की वर्ष 2011 से 2022 तक कराये गये क्षतिपूरक/गैर क्षतिपूरक वृक्षारोपण, सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन एवं एन0पी0वी0 मद के अन्तर्गत अन्य विभिन्न कार्यों की तृतीय पक्ष निगरानी (Third Party Monitoring) कराये जाने हेतु "वानिकी, वन्यजीव और पर्यावरण विज्ञान विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय), कोनी, बिलासपुर छत्तीसगढ़" से कराये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु–2:– उत्तर प्रदेश कैम्पा की वर्ष 2023–24 की वार्षिक प्रचालन योजना के सापेक्ष प्रगति सूचना से समिति को अवगत कराया जाना।

उ0प्र0 कैम्पा कार्यपालक समिति वर्ष 2023–24 की वार्षिक प्रचालन योजना की प्रगति से अवगत हुयी।

एजेण्डा बिन्दु–3:– उत्तर प्रदेश कैम्पा की वर्ष 2024–25 की वार्षिक प्रचालन योजना के निरूपण से समिति को अवगत कराया जाना।

उ0प्र0 राज्य निधि में पूर्व में उपलब्ध अवशेष धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में धनराशि रू0 12700.00 लाख का प्राविधान किया गया। राष्ट्रीय प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा दिनॉक 08.02.2019 से 31.03.2022 तक जमा की गयी धनराशि के अन्तर्गत मिलान की गयी धनराशि के सापेक्ष 90 प्रतिशत की धनराशि रू0 46734.75346 लाख राज्य निधि में दिनॉक 10.01.2024 को हस्तातंरित की गयी। तत्क्रम में उ0प्र0 कैम्पा की वर्ष 2024–25 की वार्षिक प्रचालन योजना हेतु धनराशि रू0 21929.21 लाख का प्रस्ताव किया गया।

उक्त के क्रम समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 12700.00 लाख के सापेक्ष रू0 9229.21 लाख का अनुपूरक बजट के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में प्राविधान कराया जायेगा।

उक्त के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश कैम्पा की वर्ष 2024–25 की वार्षिक प्रचालन योजना के निरूपण हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 21929.21 लाख से अवगत होते हुए समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

31 जुलाई 2024

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष
उ0प्र0 लखनऊ

27/II/2024

(वी0पी0 सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य सचिव
कार्यपालक समिति, (उ0प्र0 कैम्पा), लखनऊ

पत्रांक– 668 /2–37–2 (कार्यपालक समिति–10) दिनांक फरवरी: 22 : 2024

प्रतिलिपि– उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, जनजातीय विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
11. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ।
12. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, कानपुर।
13. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उ0प्र0, लखनऊ।
14. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा।
15. मुख्य वन संरक्षक, इकोडेवलेपमेंट, उ0प्र0, लखनऊ।
16. मुख्य वन संरक्षक, वन वर्धनिक, दक्षिणी क्षेत्र कानपुर।
17. मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबन्ध, उ0प्र0, लखनऊ।
18. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी (FCA), उ0प्र0, लखनऊ।
19. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी, कानपुर।
20. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पूर्वी, गोण्डा।
21. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
22. पर्यावरण शिक्षण केन्द्र (C.E.E), उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, 83 बाल विहार कालोनी, पिकनिक स्पॉट रोड, फरीदी नगर, लखनऊ (गैर–सरकारी संगठन)।
23. टर्टल सर्वाइवल एलाएन्स (T.S.A) डी 1/317, सेक्टर एफ, जानकीपुरम, लखनऊ (गैर–सरकारी संगठन)।
24. श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चित्रकुट (जिला स्तर पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधि)।
25. श्री जागन सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, पीलीभीत (जिला स्तर पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधि)।
26. श्री धनीराम, ग्राम भुसहर ऊँचवा; पोस्ट परसरामपुर, रजेहना, तुलसीपुर, बलरामपुर (आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधि)।

22/11/2024

(पी0पी0 सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य सचिव
कार्यपालक समिति, (उ0प्र0 कैम्पा), लखनऊ

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष (वन बल के प्रमुख), उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में उ0प्र0 कैम्पा कार्यपालक समिति की दसवीं बैठक दिनॉक 21.02.2024 में उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्रसं	अधिकारी का नाम/पदनाम	मो0नं0	हस्ताक्षर
1-			
2-	Sunil Kumar Verma Joint Director, planning Dept	9454468903	[signature]
3-	Dr. ANIL KUMAR Scientist RSAC-UP	8765977669	[signature]
4-	RADHEY LAL Joint Director, CSTUP	8573051445	[signature]
5-	Dr. Dharm Raj Singh, Technical officer, Agro forestry, Krishi Bhawan	9453734860	[signature]
6-	Ramveer Singh Fin. Officer Sanjati Dept.	9415580781	[signature]
7-	अजयकुमार मिश्र, अनुसचिव, ग्राम्य विकास विभाग	9454413311	[signature]
8-	राकेश कुमार यादव, उप सचिव राजस्व विभाग	9454412635	[signature]
9-	अनिल कुमार, Section officer, Science & Tech	9454413588	[signature] 21/02/24
10-	BHAGAT SINGH Engineer For A.M.A Zila Panchayat Chitrakoot	9311329724	[signature] 21.2.24
11-	Anupam Gupta RCCF/Nodal officer	9456246594	[signature]
12-	Anuradha Vemuri APCCF, Agra	9868161776	[signature]
13-	माया पाण्डेय	8171224494	[signature]
14-	हरिश्चन्द्र यादव सहायक भूमिव्यवस्था आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद उ0प्र0	8279892315	[signature]
15-	अशोक प्रसाद गिरी	CCF WL Gonda	[signature]

क्रसं	अधिकारी का नाम/पदनाम	मो0नं0	हस्ताक्षर
16-	अरविन्द कुमार सिंह निदेशक, SFRI, कानपुर	9044844295	[signature] 21.02.24
17-	के. रवीन्द्र APCCF/CCF wildlife Western		[signature]
18-	प्रमोद कुमार गुप्त प्र.व.सं., संयुक्त वन प्रबन्धन	7839435043	[signature]
19-	आदर्श कुमार DFO आगरा	7839435137	A.Kum
20-	विवेकानन्द कुमार वशिष्ठ DFO, अलीगढ़	7839435133	[signature]
21-	कल्पना सिंह इंजीनियर, जिला पंचायत फ़ीरोज़ाबाद	7355616257	K.Singh 21/2/24
22-	छोटे लाल यादव, कृते मुख्य अभियन्ता जिला पंचायत, [illegible] [illegible]	7355138446	[signature]
23-	P. P. Singh, CEO, Campa	9452162054	[signature]
24-			
25-			
26-			
27-			
28-			
29-			
30-			